भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 212*
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सुरक्षा पोर्टल का कार्य-निष्पादन

*212.एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में आयुष सुरक्षा पोर्टल की शुरुआत से इस पोर्टल के कार्य-निष्पादन तथा जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार इस पर प्राप्त भ्रामक विज्ञापन संबंधी शिकायतों, सूचित एडीआर, की गई कार्रवाई और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों/सीडीएससीओ के साथ एकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी, इस पोर्टल के उपयोग में कमी और प्रवर्तन संबंधी खामियां बने रहने की चिंताओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह पोर्टल किस प्रकार पारंपरिक औषधियों के नैतिक विपणन के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों तथा स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण के लिए विनियामक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के संबंध में विश्व बैंक की सिफारिशों के अनुरूप है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 13 फरवरी, 2026 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 212* के उत्तर में उल्लिखित

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने, रिपोर्ट किए गए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) पर नज़र रखने के लिए दिनांक 30 मई 2025 को एक आईटी सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" का शुभारंभ किया है। पोर्टल में एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड है जिसके माध्यम से एमएलए/ओए पर निगरानी रखी जाती है और संदिग्ध एडीआर पर नज़र रखते हुए त्वरित नियामक कार्रवाई की जाती है तथा व्यापक डेटा विश्लेषण किया जाता है।

पोर्टल को राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के साथ, उसके त्रि-स्तरीय नेटवर्क, जिसमें परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी), मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) शामिल हैं, के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके अलावा, पोर्टल को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (आयुष) लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और केंद्र सरकार के निकायों जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईएंडबी), केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण (सीसीपीए), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ जोड़ा गया है ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।

पोर्टल उपभोक्ताओं और आयुष स्वास्थ्य पेशेवरों को रिपोर्ट करने तथा नियामक प्राधिकरणों को एमएलए/ओए और एडीआर पर निगरानी रखने की भी अनुमति देता है। पोर्टल पर सभी शिकायतों की समीक्षा राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) और आयुष मंत्रालय द्वारा की जा सकती है, इससे नियामक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

पोर्टल की शुरुआत के बाद से लेकर जनवरी 2026 तक पोर्टल पर भेजे गए गए सभी एमएलए/ओए और संदिग्ध एडीआर को आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को पहले ही भेज दिया गया है। विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पोर्टल पर, इसके शुभारंभ से लेकर जनवरी, 2026 तक भेजे गए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) पर की गई कार्रवाई का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (घ) के साथ पठित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के अनुच्छेद (ख) के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 19/11/2025 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 5323 (ई) द्वारा, समन्वयक, राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका प्रयोजन उन मध्यस्थों को नोटिस जारी करना है जिनके पास या उनके द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में कोई ऐसी सूचना, डाटा या संचार

लिंक है जिसका प्रयोग औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के तहत गैर-कानूनी कृत्य है।

प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल के शुभारंभ के बाद से नियमित रूप से नागरिकों पर केंद्रित जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, दिनांक 09.01.2026 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को आयुष सुरक्षा पोर्टल के बारे में और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने हेतु कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

(ग): आयुष भेषजसतर्कता प्रणाली के उद्देश्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति (2025-2034) के अनुरूप हैं। यह पोर्टल, ''भेषजसतर्कता प्रणालियों में हर्बल दवाओं की सुरक्षा निगरानी (2004)'' पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के भी अनुरूप है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि मौजूदा नियामक ढांचों से जुड़ी राष्ट्रीय भेषजसतर्कता प्रणालियों के माध्यम से हर्बल दवाओं की सुरक्षा पर निगाह रखी जानी चाहिए जिससे जोखिम का पता लगाया जा सके और एक भेषजसतर्कता नेटवर्क, जिसमें राष्ट्रीय केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, फार्मेसियां, उपभोक्ता और विनिर्माता शामिल हों, की स्थापना करके जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा की जानी चाहिए ताकि सभी हितधारकों द्वारा प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग की जा सके।

यह पोर्टल, विश्व बैंक की संस्तुतियों के भी अनुरूप है, जिनमें निरीक्षण कार्यों में सुधार, बाजार प्राधिकरण और विपणन पश्चात निगरानी प्रणालियों सहित दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन तथा नियामक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

पोर्टल के शुभारंभ के बाद से लेकर जनवरी 2026 तक इस पर भेजे गए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) और संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) का विवरण निम्नप्रकार है:

पोर्टल पर भेजे गए भ्रामक विज्ञापन (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापन (ओए) और संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं (एडीआर)		
प्रस्तुतकर्ता	**एमएलए/ ओए**	**संदिग्ध एडीआर**
आम जनता	53	0
एनपीवीसीसी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली	46	0
आईपीवीसी, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	810	57
आईपीवीसी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	4763	63
आईपीवीसी, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	288	0
आईपीवीसी, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु	2030	49
आईपीवीसी, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	1080	24
कुल	**9070**	**193**

संलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पोर्टल पर, इसके शुभारंभ के बाद से लेकर जनवरी 2026 तक भेजे गए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नप्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की संख्या	जिन पर कार्रवाई की गई
1.	ओडिशा	232	213
2.	गुजरात	136	136

3.	उत्तराखंड	225	225
4.	मध्य प्रदेश	910	204
5.	त्रिपुरा	42	15
6.	केरल	103	52
7.	महाराष्ट्र	1024	1024
8.	तमिलनाडु	714	551
9.	हरियाणा	शून्य	-
10.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	-
11.	गोवा	शून्य	-
12.	पुडुचेरी	शून्य	-
13.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	-
14.	उत्तर प्रदेश	शून्य	-
15.	मिजोरम	शून्य	-